न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

अपील संख्या 37 / 2019 (2019 / 00184)

श्रीमती सीता देवी पत्नि स्व0 श्री जगदीश प्रसाद अजमेरा, 55, न्यू केसरी कॉलोनी, आदर्श नगर, अजमेर जिला अजमेर। .....अपीलान्ट

बनाम

1. योगेन्द्र अजमेरा पुत्र स्व0 श्री जगदीश प्रसाद अजमेरा
2. श्रीमती सपना पत्नी योगेन्द्र अजमेरा
   मकान नं0 55, न्यू केसरी कॉलोनी, आदर्श नगर, अजमेर। .....रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.02.2019 के विरूद्ध

आदेश दिनांक :– 10.10.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र माता –पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत अधिनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि प्रार्थीया एक वरिष्ठ नागरिक, महिला है जो अपने परिवार के साथ न्यू केसरी कॉलोनी, गली नं0 07 बालुपुरा रोड, आदर्शनगर, अजमेर स्थित अपनी स्वअर्जित / स्वनिर्मित सम्पत्ति में निवास करती है। प्रत्यर्थी संख्या 01 उसका पुत्र तथा प्रत्यर्थी संख्या 02 पुत्रवधु है। प्रत्यर्थी संख्या 01 अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जो वृद्ध विधवा मॉ अपीलार्थी के कहने में नहीं है। इसकी हरकतो एवं आचरण के मध्यनजर अपीलार्थी द्वारा अखबार में आम सूचना का साया कर अपनी चल व अचल सम्पति से बेदखल कर सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था। प्रत्यर्थी संख्या 01 योगेन्द्र अजमेरा दिनांक 5.10.2018 को पारिवारिक झगडे में 151 सीआरपीसी में जेल में बंद था। इसके बावजूद उसकी पत्नी प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा दिनांक 5.10.2018 को अपीलार्थीया के स्वअर्जित / स्वनिर्मित कब्जाधीन मकान के एक कमरे पर अवैध रूप से ताला तोडकर जबरदस्ती कब्जा कर लिया तथा अपीलार्थी को धमकी दी कि वह प्रत्यर्थी के अन्य दो पुत्र जितेन्द्र एवं सुरेन्द्र के विरूद्ध अनुसूचित जाति / जन जाति के तथा छेडछाड व बलात्कार के मुकदमा दर्ज करवा कर पूरे परिवार को जेल भिजवा दूँगी। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीया की सम्पति / मकान हडपने की बदनीयति से प्रार्थिया के मकान पर कब्जा कर प्रार्थिया का जीना दुभर कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 01, प्रार्थीया तथा उसके अन्य दो पुत्रों के साथ गंभीर घटना कारित कर सकता है। अप्रार्थी से उनको जान–माल का खतरा है। प्रार्थीया द्वारा अधिनस्थ अधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर प्रार्थीया की स्वअर्जित / स्वनिर्मित मकान पर उनके द्वारा किये गये नाजायज कब्जे का खाली करवाया जाने तथा अप्रार्थीगण से प्रार्थीया तथा

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

उसके परिवार के सदस्यो की जान–माल की रक्षा किये जाने का अनुरोध किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ अधिकरण द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यों पर गौर किये बिना सरसरी तौर पर उक्त अधिनियम के उद्धेश्यो को विफल करतें हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 05.02.2019 से खारिज कर दिया। अधिनस्थ अधिकरण के इसी आदेश से असन्तुष्ट होकर प्रश्नगत आदेश को अपास्त करने, प्रत्यर्थीगण से अपीलार्थी एवं उसके पुत्र जितेन्द्र एवं सुरेन्द्र की जान–माल की रक्षा करने तथा अपीलान्ट के स्वअर्जित/स्वनिर्मित मकान के हिस्से पर किये गये अवैध कब्जे से बेदखल कर कब्जा दिलवाये जाने की इस्तदुआ के यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पों0 सं0 01, 02 के उपस्थित आने पर प्रकरण वास्ते सुनवाई नियत किया गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा मियाद के बिन्दु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण न्यायहित में मियाद बाबत अन्तरिम प्रार्थना में व्यक्त कथनों कों स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का निश्चय किया गया। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलान्ट ने मुख्यतः निवेदन किया कि वह एक वरिष्ठ नागरिक, महिला है जो न्यू केसरी कॉलोनी, गली नं0 07 बालुपुरा रोड, आदर्शनगर, अजमेर स्थित अपनी स्वअर्जित/स्वनिर्मित सम्पत्ति में निवास करती है। अपीलान्ट के तीन पुत्र तथा एक पुत्री है, सभी का विवाह हो चुका है, बडा पुत्र सुरेन्द्र एवं छोटा पुत्र जितेन्द्र दोनो अलग रहते है, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, वे मुझे खर्चा देते रहते है। मकान के किराये की आय से मेरा खर्चा चलता है। प्रत्यर्थी संख्या 01 उसका मझला पुत्र तथा प्रत्यर्थी संख्या 02 पुत्रवधु है। प्रत्यर्थी संख्या 01 अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जो वृद्ध विधवा मॉ (अपीलार्थी) के कहने में नहीं है। प्रत्यर्थी की हरकतो एवं आचरण के मध्यनजर अपीलार्थी द्वारा अखबार में आम सूचना का प्रकाशन कर उसे अपनी चल व अचल सम्पति से बेदखल कर सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था। प्रत्यर्थी संख्या 01 योगेन्द्र अजमेरा दिनांक 5.10.2018 को पारिवारिक झगडे में 151 सीआरपीसी में जेल में बंद था। इसके बावजूद उसकी पत्नी प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा दिनांक 5.10.2018 को अपीलान्ट के स्वअर्जित/स्वनिर्मित कब्जाधीन मकान के एक कमरे पर अवैध रूप से ताला तोडकर जबरदस्ती कब्जा कर लिया तथा अपीलार्थी को अन्य दो पुत्र जितेन्द्र एवं सुरेन्द्र के विरूद्ध अनुसूचित जाति/जन जाति के तथा छेडछाड व बलात्कार के मुकदमा दर्ज करवा कर पूरे परिवार को जेल भिजवाने की धमकी दी। प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा अपीलार्थी की सम्पति/मकान हडपने की बदनीयति से मकान पर कब्जा कर जीना दुभर कर दिया है। किरायेदारों को भी लड–झगडकर धमका कर भगा दिया, तथा नये किरायेदार को भी धमकाते हुए उनको किराये पर रहने से मना करता है। प्रत्यर्थी संख्या 01, अपीलार्थी तथा उसके अन्य दो पुत्रों के साथ गंभीर घटना कारित कर सकता है। प्रत्यर्थी से उनको जान–माल का खतरा है। अधिनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्यों पर गौर किये बिना सरसरी तौर पर उक्त अधिनियम के उद्धेश्यो को विफल करतें हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 05.02.2019 से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ अधिकरण द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

पारित आदेश अपास्त किया जाकर दोनो प्रर्त्थीगण से अपीलार्थी एवं उसके पुत्र जितेन्द्र एवं सुरेन्द्र की जान–माल की रक्षा की जावे तथा अपीलार्थी के स्वअर्जित/स्वनिर्मित मकान के हिस्से पर प्रत्यर्थीगण द्वारा किये गये अवैध कब्जे से बेदखल कर कब्जा दिलवाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। ताकि अपीलार्थी अपना शेष जीवन शान्ति पूर्वक, सामान्य रूप से व्यतित कर सकें। अन्त में अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों की पुष्टि/साक्ष्य में उनके द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफस एवं पॉचों सी.डी का हवाला देते हुए वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का अनुरोध किया।

जवाब में उपस्थित रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने मुख्यतः निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील कथन गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 प्राथीया के पुत्र एवं पुत्र वधु है। शादी के बाद बडे भाई ने मारपीट कर हमें घर से निकाल दिया। मेरी पत्नी जो कि अनुसूचित जाति की है, इसलिए यह लोग मुझे उससे अलग करना चाहतें है। दोनो भाई मेरे विरूद्ध है, इन लोगों के द्वारा छह बार मुझे जेल भिजवा दिया। मेरी पत्नी ने अपने भाई एवं पिताजी के खिलाफ जाकर उनसे लडाई लडकर मुझे से विवाह किया है मै उसको नहीं छोड सकता। मैने मॉ को विश्वास में लेकर उनको मेरी पत्नी से मिलाकर, दिखाकर ही राजी खुशी शादी की थी। मेरा बडा एवं छोटा भाई तथा मामाजी, मॉ को बहकाकर, साजिश के तहत मुझे घर से बेदखल करना चाहते है। मुझे माताजी को अपने साथ में रखने में कोई आपत्ति नहीं है। मामाजी के कहे–कहे माताजी, मुझे पत्नी को छोडने के लिए कहती है। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपीलान्ट प्रस्तुत अपील के जरिये वांछित अनुतोष इस न्यायालय से प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपील अपीलान्ट इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से सव्यय खारिज फरमाई जावे।

हमने अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। उभय पक्ष द्वारा हमारे समक्ष व्यक्त कथनों व अधिनस्थ अधिकरण की पत्रावली का मय आदेश के समस्त दृष्टिकोण से विवेचन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपने मझले बेटे एवं बहु (प्रत्यर्थीगण) पर परेशान, लडाई झगडा व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए शांतिपूर्ण रहवास हेतु स्वअर्जित सम्पति/मकान से प्रत्यर्थीगण की बेदखली का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी के अन्य दो पुत्र सुरेन्द्र एवं जितेन्द्र है। बडा पुत्र सुरेन्द्र, छीपा गली डिग्गी बाजार स्थित पुश्तैनी मकान में तथा सबसे छोटा पुत्र जितेन्द्र अपने स्व0 पिता द्वारा संचालित प्रेस वाले भवन में रहता है। अपीलान्ट का यह भी कहना है कि बडे एवं छोटे दोनो पुत्रों से उसे कोई शिकायत नहीं है। वे उसे संभालते रहते है तथा आवश्यकतानुसार खर्चा भी देते रहते है। मझला पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 01 अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जो अपीलार्थी के कहने में नहीं है, प्रत्यर्थी की हरकतो एवं आचरण के मध्यनजर अपीलार्थी द्वारा अखबार में आम सूचना का प्रकाशन कर उसे अपनी चल व अचल सम्पति से बेदखल कर सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है। इसके बावजूद वह अपीलार्थी की सम्पति/मकान हडपने की नियत से अपनी पत्नी के साथ जबरन उसके स्वअर्जित मकान के एक कमरे एवं लेट्रिन–बाथरूप पर कब्जा कर रखा है। अपीलान्ट के दो अन्य पुत्र मिलने आते है, तो प्रत्यर्थीगण उनसे लडाई–झगडा, मारपीट करते है तथा उसके शान्तिपूर्ण जीवन यापन में व्यधान पैदा करते है। राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम, 2010 के नियम 20 (2) (i) के तहत जिला

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

मजिस्ट्रेट का कर्तव्य, यह सुनिश्चित करना होगा कि जिले के वरिष्ठ नागरिकों का जीवन और सम्पति सुरक्षित है और वे सुरक्षा और गरिमा के साथ जीवन यापन करने में समर्थ है। चूंकि प्रत्यर्थी सं0 01 अपीलान्ट का मझला पुत्र है तथा प्रत्यर्थी संख्या 02 बहू है, उनके एक वर्षीय पुत्री भी है। तीनों वादग्रस्त रहवासीय मकान के एक कमरे में रहते है। प्रत्यर्थी संख्या 01 का कहना है कि उसने प्रेमविवाह किया है, पत्नि अनुसूचित जन जाति की है, इसलिए अपीलान्ट उससे द्वेषता रखती है। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर मामला आपसी मनमुटाव एवं पारिवारिक क्लेश का प्रतीत होता है। अपीलान्ट की परिस्थिति एवं अवस्था को देखते हुए अपील, अपीलान्ट आंशिक इस हद तक स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट जो कि प्रत्यर्थी संख्या एक की माता तथा दो की सास है तथा वद्धावस्था में है, की प्रत्यर्थीगण उचित देखभाल करते हुए उनके शान्ति पूर्ण जीवन यापन में सहयोग करें, किसी प्रकार से दुर्व्यवहार, लडाई–झगडा, मार–पीट वाद विवाद, आदि अपनी मॉ–भाईयों, सास–देवरों से नहीं करें। इस आश्य की लिखित अन्डर टेंकिग प्रत्यर्थीगण, न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर के समक्ष आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर एवं सम्बन्धित थानाधिकारी, पुलिस थाना, आदर्श नगर, अजमेर, आदेश की पालना सुनिश्चित करावें तथा प्रत्यर्थी संख्या 01 योगेन्द्र अजमेरा एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 सपना पत्नी योगेन्द्र अजमेरा को आदेश की पालना कठोरता से करने हेतु पाबन्द करे। आदेश की तनिक भी अवेहलना होने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर

Scanned by CamScanner